कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 02/2015

अपीलकर्ताः– श्री अमित गौतम, 322, 8 सिविल लाईंस, नन्दन भवन, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

बनाम

उत्तरदाताः– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री अमित गौतम उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2015, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्या 1 से 3 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 494 दिनांक 21 मई, 2015 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी।

2- लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री अमित गौतम द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28/05/2015 को प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 557 दिनांक 12-06-2015 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 25-06-2015 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था। अपील की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हुए किंतु विभागीय अपीलय अधिकारी के मुख्यालय से बाहर बैठक एवं लिंक ऑफिसर भी मुख्यालय से बाहर होने के कारण अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अभिलेखों के अनुसार सही है।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या- 789 XXV-12/2008 (P2), दिनांक 3 सितम्बर, 2015।

प्रतिलिपि :- श्री अमित गौतम, 322, 8 सिविल लाईंस, नन्दन भवन, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 02/2015

अपीलकर्ता:– श्री अमित गौतम, 322, 8 सिविल लाईंस, नन्दन भवन, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

बनाम

उत्तरदाता:– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री अमित गौतम उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2015, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्या 1 से 3 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 494 दिनांक 21 मई, 2015 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी।

2- लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री अमित गौतम द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28/05/2015 को प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 557 दिनांक 12-06-2015 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 25-06-2015 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था। अपील की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हुए किंतु विभागीय अपीलय अधिकारी के मुख्यालय से बाहर बैठक एवं लिंक ऑफिसर भी मुख्यालय से बाहर होने के कारण अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अभिलेखों के अनुसार सही है।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या- 789 XXV-12/2008 (P2), दिनांक 3 सितम्बर, 2015।

प्रतिलिपि :- श्री अमित गौतम, 322, 8 सिविल लाईंस, नन्दन भवन, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

दिनांकः 22 अगस्त 2015

सेवा में,
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी
04, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर
देहरादून–248001।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील सुनवाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के अन्तर्गत तीन बिन्दुओं पर विभाग से सूचना मांगी गयी थी परन्तु लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर से संतुष्ट ना होने के कारण मेरे द्वारा आपके कार्यालय में डाक द्वारा दिनांक 28 मई 2015 को अपील की गयी थी। आपके द्वारा मेरी अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 25 जून 2015 की तिथी निर्धारित की गयी उस दिन निर्धारित समय पर मै आपके कार्यालय में उपस्थित हुआ परन्तु कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि आप किसी आवश्यक परिस्थितिवश उपलब्ध नही है एवं आपके स्थान पर सुनवाई हेतु कोई समान अधिकारी भी उपलब्ध नही था। मेरे द्वारा अपना पक्ष आपके कर्मचारीगण के सम्मुख रख दिया गया था परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि करीब दो माह पूर्ण होने को है मुझे आपके द्वारा अपील पर दिया गया निर्णय अभी तक प्राप्त नही हुआ है।

अतः आपसे निवेदन है कि मुझे समयबद्ध अपील का निस्तारण करते हुये प्रत्युत्तर देने की कृपा करे।

धन्यवाद

(अमित गौतम)
322, 9 सिविल लाईंस
नन्दन भवन,
रूड़की (उत्तराखण्ड)।

श्री सेमवाल
कृ. शीघ्र।
31/8/15
S.O.

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 557/XXV–12/2008 देहरादून : दिनांक 12 जून, 2015

सेवा में,

श्री अमित गौतम,
322, 8 सिविल लाईंस,
नन्दन भवन, रूड़की, हरिद्वार।

विषयः– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 28 मई, 2015 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 25 जून, 2015 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर स्थिति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीया,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

25/6/15